सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 19.06.2024

एक राय होकर मारपीट कर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 18.06.2024 को वादिनी अफरोज पत्नी अकबर हुसैन निवासी गाड़ीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना दी गयी कि दिनांक 17.06.2024 को समय करीब 06.00 बजे उन्हीं के पड़ोसी जीशान पुत्र नसीर, हसीन पुत्र जमील, नईम पुत्र सलीम, एहसान पुत्र नसीर, आसिफ उर्फ तोता पुत्र जमील द्वारा वादिनी के पति एवं बच्चों के साथ लाठी, डण्डे से मारपीट की गयी एवं फायर करते हुये जान से मारने की धमकी दी गयी जिनका इलाज पीजीआई सैफई इटावा में चल रहा है। सूचना पर तत्काल **थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 178/2024 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिय गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को थाना कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 178/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त **आसिफ उर्फ तोता पुत्र जमील को कबरे वाले नाले की पुलिया के पास से समय करीब 02.35 बजे** गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त की पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। और उसके द्वारा बताया गया कि इस तमन्चे का प्रयोग मैंने हवाई फायरिंग में दिनांक 17.06.2024 को गाड़ीपुरा में हुये झगड़े में किया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 178/2024 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. आसिफ उर्फ तोता पुत्र जमील निवासी गाड़ीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 178/2024 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

आसिफ उर्फ तोता पुत्र जमील

1. मु0अ0सं0 48/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली जनपद इटावा
2. मु0अ0सं0 16/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
3. मु0अ0सं0 178/2024 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

बरामदगी-

1. 01 अवैध तमन्चा 315 बोर।
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम –निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 सुरेन्द्र पाल, का0 अक्षय कुमार, का0 रंजीत सिंह।